न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 16/2020 जिला अलवर ।

1. माँ संतोषी ग्रीट उधोग ग्राम बहाली तहसील राजगढ़ जिला अलवर, कार्यालय गुलाब कुंज, रेल्वे प्लेटफार्म नं0 2 के पास, दिल्ली रोड, अलवर जरिये प्रोपराईटर/भागीदार ओमप्रकाश गुप्ता।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर अलवर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 07.10.2019 जिला कलक्टर अलवर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–22.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 07.10.2019 के खिलाफ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2018 को न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया कि माँ संतोषी ग्रीट उधोग ग्राम के पक्ष में गांव बहाली ग्राम पंचायत फिरोजपुर की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 एयर भूमि (7200 व0मी0) की भूमि का औधोगिक प्रयोजन जिला कार्यालय के आदेश संख्या 2520 दिनांक 7.05.1993 संपरिवर्तन किया गया है। इस आदेश में वर्णित उददेश्य औधोगिक प्रयोजन के साथ ''स्टोन केशर वास्ते'' अंकित किया जावे।
3. अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2019 पारित किया कि ''माँ संतोषी ग्रीट उधोग, गुलाब कुंज, रेल्वे प्लेटफार्म नं0 2 के पास, दिल्ली रोड, अलवर द्वारा गांव बहाली ग्राम पंचायत फिरोजपुर की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 एयर भूमि (7200व0मी0) का औघोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण कराकर स्टोन केशर जब तक प्रार्थी विधिनुसार नियमानुसार स्टोन केशर संचालन की अनुमति प्राप्त नही करता है, तब तक के लिये तत्काल प्रभाव से संचालन तत्काल प्रभाव से समाप्त (Ceased) किया जाता है।''
4. न्यायायल जिला कलक्टर अलवर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलव किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि माँ संतोषी ग्रीट उधोग ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला अलवर में पिछले करीब 27 वर्षो से स्टोन केशर उधोग का संचालन काम नियमानुसार करता चला आ रहा है। राज्य सरकार के खान एवं भू विज्ञान विभाग अलवर द्वार अपीलांट फर्म के मालिक/भागीदार ओमप्रकाश गुप्ता के हक में दिनांक 30.03.1991 को नियमानुसार खनन पट्टा खनिज लाईम स्टोन क्षेत्र 150X150 मीटर निकट ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला अलवर का जारी किया हुआ है। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा का

अति० सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

संविदा निष्पादन दिनांक 01.04.1991 से दिनांक 31.03.2041 यानि 50 वर्ष के लिये नियमानुसार स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा विधि के प्रावधानो के अनुरूप खनिज अभियंता अलवर द्वारा किया गया है। गौर तलब है कि उक्त पूरक संविदा द्वारा खनन पट्टा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 जिसके द्वारा खनन कार्य वनखण्ड भूमि पर स्थित होने के कारण प्रतिबंधित किया गया था की शर्तो का पालन करते हुऐ डाईवर्जन की अन्तिम स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा खनन हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अवधि के समरूपशी करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई है। माईनिंग लीज खनन पटटा संख्या 301/1990 के तहत दिये गये अधिकारो के अनुसार अपीलांट द्वारा स्वीकृत स्थान पर स्टोन क्रेशर स्थापित किया हुआ है। जैसा कि लीज पट्टा के साथ दिये गये स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि से जाहिर है। उक्त स्वीकृत नक्शे में खसरा नम्बर 332 की कुछ भूमि भी शामिल है जिस पर स्टोन क्रेशर लगाकर अपीलांट विधि के प्रावधानो के अनुसार नियमित रूप से पिछले करीब 27 वर्षो से स्टोन क्रेशर का संचालन करता चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को नियमानुसार भारी मात्रा में राजस्व बतौर रॉयल्टी कर इत्यादि का भुगतान करता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 है0 ग्राम बहाली दिनांक 04.01.1993 को पूर्व खातेदार से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया गया है। उक्त खरीद शुदा आराजी को रूपान्तरित करने के लिये अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष भूमि रूपान्तकरण वास्ते राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में रूपान्तरण) नियम 1992 के प्रावधानो के तहत प्रस्तुत कर कृषि भूमि को औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार तहसीलदार राजगढ द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा ग्राम पंचायत फिरोजपुर राजगढ द्वारा एनओसी प्रदान की गई। तत्पश्चात नियमो के प्रावधानो के तहत विधिक प्राधिकारी जिला कलक्टर अलवर द्वारा आदेश दिनांक 07.05.1993 के तहत अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 है0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया। राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में रूपान्तकरण) नियम 1992 के नियम 3 में दर्ज प्रावधानो के अनुसार नियमो में स्टोन क्रेशर हेतु भू रूपान्तरण का अलग से कोई केटेगिरी/प्रावधान नही है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 20 में यह प्रावधान किया हुआ है Provided that such repeal shall not effect any order made, action taken, effects and consequences of any thingh done or suffered there under or any right, title, prevelege obligations or liability already acquired, accrued or incurred there under or any enquiry conducted verification made proceeding taken in respect thereon. अपीलांट अपने स्टोन क्रेशर की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहता है जिस पर उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर को दिनांक 13.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था की भूरूपान्तरण आदेश दिनांक 07.05.1993 में औधोगिक प्रयोजन के साथ स्टोन क्रेशर शब्द दर्ज कर दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 07.10.2019 को किया गया तथा यह आदेश पारित किया गया कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 है0 ग्राम बहाली का औधागिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा कर स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति जब तक प्राप्त नही करता है तब तक के लिये उक्त तत्काल प्रभाव से संचालन समाप्त (ceased) किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नही दिया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा आदेशो के जरिये क्रेशर चलाने हेतु अपीलांट को सहमती सन 2003 से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

लगातार 2019 तक बहक अपीलांट जारी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 में स्टोन केशर प्रयोजन हेतु रूपान्तरण का कोई अलग प्रावधान नही है। संपरिवर्तन नियम 1992 के उपनियम 4(ग) में प्रावधान है कि किसी औधोगिक ईकाई या चुने भट्टे या किसी केशर ईकाई या किसी औधागिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिये गांव की आबादी की बाहरी सीमाओ के 1.5 किमी के अर्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि का संपरिवर्तन अनुज्ञान नही किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन एवं परिपत्र प्रथम दिनांक 10.4.2015 को जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट दर्ज है कि उक्त प्रतिबंध मौजूदा प्रकरण में लागू नही है। इसके अतिरिक्त दूसरा परिपत्र जो राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग द्वारा दिनांक 28.04.2016 को जारी किया गया है। उसमें नियन 4 के संबध में वर्णित आबादी से दूरी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि अधिसूचना दिनांक 10.4.2015 से नियम 4 में संशोधन कर यह भी उपबंधित किया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार किसी राजस्व ग्राम की आबादी की 1.5 किमी परिधि में वह उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे जो मण्डल द्वारा अनुमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2019 विधि के स्थापित नियमो के उल्लंघन में था जिस पर अपीलांट द्वारा एक पुर्नविचार प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के यहां दिनांक 19.11.2019 को प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया। जिस पर पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 25.02.2020 को किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 72 एयर वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ का रूपान्तकरण राजस्थान भू राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरितर्वन) नियम 1992 के तहत किये गये औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण आदेश दिनांक 07.05.1993 में वर्णित उददेश्य औधोगिक प्रयोजन के साथ स्टोन केशर वास्ते अंकित किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2019 का है लेकिन अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 12.03.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद प्रश्नगत जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 07.10.2019 के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अलवर के खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 है0 भूमि के भू. रूपान्तरण आदेश क्रमांक 2521–24 दिनांक 07.05.1993 में औधागिक प्रयोजन के साथ स्टोन केशर वास्ते अंकित किया जावे। अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्र संख्या प. 9(28)राज–6/2019 दिनांक 16.7.2019 से निर्देश प्रदान किये गये कि संपरिवर्तन नियम 1992 के तहत औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आराजी का स्टोन केशर के उपयोग मे लिया जा रहा है, के लिए संपरिवर्तन आदेश में स्टोन केशर शब्द नही जोडा जा सकता है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 पारित कर ''माँ संतोषी ग्रीट उधोग, गुलाब कुंज, रेल्वे प्लेटफार्म नं0 2 के पास, दिल्ली रोड, अलवर द्वारा गांव बहाली ग्राम पंचायत फिरोजपुर की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 0.72 एयर भूमि (7200 व0मी0) का औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तकरण कराकर स्टोन केशर जब तक प्रार्थी विधिनुसार नियमानुसार स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्राप्त नही करता है, तब तक के लिय तत्काल प्रभाव से संचालन तत्काल प्रभाव से समाप्त (Ceased) किया जाता है'' आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में दो निष्कर्ष लिए गये हैं। प्रथम निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी सर्वप्रथम खसरा नं. 332 रकबा 0.72 है0 (7200 वर्ग मीटर) भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 1992 के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया जा चुका है। उक्त रूपान्तरण आदेश नवीन नियम राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 20 के अंतर्गत आज भी विधिसम्मत है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेशों को निरस्त नहीं कर दिया जाये। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उनके द्वारा खनन लीज क्षैत्र में स्टोन केशर स्थापित किया हुआ है। जिसमें अलग से रूपान्तरण की कोई आवश्यकता नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में लिया गया यह निष्कर्ष आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय निष्कर्ष यह ली गई है कि ''प्रार्थी विधिनुरूप नियमानुसार स्टोन क्रेशर संचालन की अनुमति प्राप्त नहीं करता है, तब तक के लिए तत्काल प्रभाव से संचालन समाप्त (Ceased) किया जाता है'' उक्त निष्कर्ष के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि वायु (प्रीवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर रीजनल ऑफिस, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर को चलाने की सहमति (कन्सेन्ट टू ऑपरेट) ली गई है। प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2003 द्वारा दिनांक 04.06.2005 तक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् उक्त सहमति क्रमशः दिनांक 04.06.2008, 31.05.2011, 31.05.2014 व दिनांक 31.05.2019 तक बढाई गई। वर्तमान में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2020 के द्वारा उक्त सहमति दिनांक 31.12.2024 तक बढा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आदेश दिनांक 07.11.2003, 23.06.2005, 31.05.2008, 22.08.2012, 18.06.2014 व 23.07.2020 के आदेशों की प्रति प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन संबंधी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सहमति नियमानुसार प्राप्त की हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में लिया गया दूसरा निष्कर्ष भी उपर्युक्त विवेचन से निराधार प्रतीत होता है। जहाँ तक राजस्व ग्राम की आबादी से 1.5 कि.मी. की परिधीय दूरी में स्टॉन क्रेशर स्थापित नहीं किये जाने का प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना संख्या F.6(13)rev-6/14/7 दिनांक 10.04.2015 जारी कर नियम 2007 के नियम 4(ग) में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

संशोधन कर प्रावधान किया गया है कि "This restricrtion shall not apply for the establishment of any class of industry the radius as specified in the guidlines of Rajasthan state pollution control board" इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा निर्देशो की पालना में ग्राम की आबादी से 1.50 किमी परिधीय दूरी के अन्दर भी स्टोन केशन स्थापित किये जाने में कोई बाधा नही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(98)राज.6 / 2014 / 1 दिनांक 28.04.2016 में भी उक्त नियम का उल्लेख किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अपीलार्थी फर्म को सहमति (Consent to operate) प्रदान किया हुआ है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। इससे यही अवधारणा ली जायेगी कि अपीलार्थी द्वारा स्टोन केशर संचालन हेतु विधिनुसार अनुमति प्राप्त की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया द्वितीय निष्कर्ष भी विधिक बल रहित प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यो को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित नही किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा नियम 1992 के अन्तर्गत जारी रूपान्तरण आदेश में स्टोन केशर उपयोग दर्ज करने का प्रश्न है, उक्त आदेश एक पूर्ण आदेश है तथा उसमें भूतलक्षी प्रभाव से स्टोन केशर उपयोग को नही जोडा जा सकता है।

9. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में नियम 1992 के अन्तर्गत जारी रूपान्तरण आदेश में स्टोन केशर उपयोग को अंकित करने संबंधी जो प्रार्थना की गई थी उसे उचित तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। उक्त हद तक अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी द्वारा संचालित स्टोन केशर को समाप्त (Ceased) करने के आदेश भी प्रदान किये गये है परन्तु उक्त आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी नियमो, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी सहमति (Consent to operate) स्टोन केशर की वर्तमान अवस्थिति आदि के बारे में कोई विवेकपूर्ण जांच नही की गई है। अतः इस हद तक अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2019 में स्टोन केशर के संचालन को समाप्त (Ceased) किये जाने संबंधी अंश को अपास्त किया जाता है। नियमानुसार जांच उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में यह आदेश बाधक नही होगा। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner